

प्रेस नोट

जनपद संतकबीरनगर

दिनांक 04.02.2026

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत दबिश के दौरान 12 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों और वारण्टियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत पिछले दो दिनों में जनपद के थानों की पुलिस टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दिया। इस कार्यवाही के दौरान कुल 12 वारण्टियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी किए गए थे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 01. नसीम पुत्र इकबाल निवासी सिरसिहवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 2. महेन्द्र कुमार पुत्र तेरस निवासी मरवटिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, उ0नि0 श्री अजीत कुमार, हे0का0 शैलेन्द्र यादव, का0 सत्यप्रकाश।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 06 वारण्टी नाम पता 1. निजामुद्दीन पुत्र सेराजुद्दीन 2. सज्जाउद्दीन पुत्र सेराजुद्दीन 3. रुपनारायन उर्फ सूफन पुत्र जीनक 4. अनिल कुमार पुत्र जोखू प्रसाद 5. मनीष पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण मूड़ाडीहा बेग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर 6. सहरे आलम उर्फ शहरे आलम पुत्र पंजाबी निवासी उंचहरा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री रामकुशल सिंह, उ0नि0 श्री सचिन्द्र कुमार राय, हे0का0 अरुण कुमार प्रजापति, हे0का0 विनोद कुमार यादव, का0 भीम कुमार, का0 दीपनारायन शर्मा, का0 रंजन कुमार सिंह, म0का0 पूजा जायसवाल।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता 01.मेवालाल पुत्र रामलखन 02.श्रीमती कुमारी पत्नी रामकिशुन 03.श्रीमती कुमारी पत्नी भोला निवासीगण झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 4. प्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र भागीरथी निवासी सिकरी उर्फ अमहवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री राममिलन साहनी, उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, का0 अमित यादव, का0 शैलेन्द्र यादव, म0का0 कुमकुम मिश्रा।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गुम हुए बैग को बरामद कर महिला को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली ***श्री रजनीश राय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक 04.02.2026 को कार्यवाही करते हुए गुम हुए बैग को बरामद कर महिला को सुपुर्द किया गया।

विदित हो कि श्रीमती कुसुम देवी पत्नी दीनदयाल विश्वकर्मा निवासी बैजलपूर थाना हरपूर बुदहट जिला गोरखपुर दिनांक 02.02.2026 को महसूस आते समय महुली चौराहे पर उनका बैग आटो में छुट गया, जिसके उपरान्त श्रीमती कुसुम देवी उपरोक्त द्वारा थाना महुली पर पहुँचकर सूचना दिया गया, सूचना मिलने पर महुली पुलिस संतकबीरनगर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बैग को बरामद कर श्रीमती कुसुम देवी उपरोक्त को सुपुर्द किया गया।

बरामदगी करने वाले पुलिस बल का विवरण:- म0हे0का0 पुष्पा यादव, म0हे0का0 लालमुनी गुप्ता।

द्वितीय के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 01 वारण्टी नाम पता सहबान अली पुत्र शौकत अली निवासी कटबन्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 बलराम यादव।

थाना महुली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता 1. भुवाल बेलदार पुत्र स्व0 पतिराम निवासी खजुहा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 2. राजेन्द्र पुत्र रघुवंश निवासी काली जगदीशपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, उ0नि0 श्री ललितकान्त यादव हे0का0 छोटेलाल कन्नौजिया, का0 विकास साहनी।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता महेश ठठेरा पुत्र पवन कुमार निवासी ठाकुर द्वारा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, का0 ओमप्रकाश।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7669 द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 7669 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत बारीडिहा से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.सुजीत पुत्र सुबोध निवासीगण चपरा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सीएचसी मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 रविन्द्र यादव, हो0चा0 प्रमोद कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 121 वाहनों से 1,50,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.02.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 121 वाहनों से 1,50,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अभयनाथ मिश्र*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.02.2026 को थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 637/2025 धारा 64(1), 351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता निसार अहमद पुत्र सरवर अली सिद्दिकी निवासी शंकरपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को दुल्हापार चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 15.12.2025 को थाना धनघटा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री उ0नि0 नन्दू गौतम, हे0का0 सोनू पटेल, का0 हरिन्द्र यादव।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.02.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 57/2026 धारा 87/137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अच्छेलाल पुत्र सुदर्शन निवासी नेहिया खुर्द थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को डीघा प्राथमिक विद्यालय के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 30.01.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामअवध यादव, का0 प्रशांत विक्रम सिंह।

***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में
वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 04.02.2026 को थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 476/2025 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वाँछित बाल अपचारी को टड़वरिया चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 29.11.2025 को थाना मेंहदावल पर बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए बाल अपचारी को आज दिनांक 04.02.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री आजम अंसारी, हे0का0 रामकरन तिवारी।

***“ऑपरेशन कनक्विशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के
फलस्वरूप गैंगेस्टर एक्ट के मामलों में अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5000 रु0 के
अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 04.02.2026 को ***माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 711/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक जायसवाल पुत्र राजकुमार निवासी छोटकी सरौली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अपराध के लिए 02 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिवास का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

(Sp सर का मैसेज)

जय हिन्द सर

सर,सादर अवगत कराना है कि दिनांक 04.02.2026 को श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय के आदेशानुसार संचालित “ऑपरेशन कनक्विशन” के अंतर्गत संतकबीरनगर पुलिस एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप **माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर** द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद के मु0अ0सं0 711/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में दोषी 01 अभियुक्तों को धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व 5000 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।